

## लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1685

जिसका उत्तर बुधवार, 30 जुलाई, 2025 को दिया जाएगा

### घरेलू स्तर पर खाद्य अपशिष्ट

1685. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को पता है कि घरेलू स्तर पर खाद्य अपशिष्ट वैश्विक खाद्य अपशिष्ट का लगभग 61 प्रतिशत है और अकेले भारत में प्रतिवर्ष 78 मिलियन टन खाद्य अपशिष्ट फेंका जाता है;
- (ख) घरेलू खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए स्मार्ट खाद्य योजना, भंडारण और उपभोग प्रथाओं पर उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का विचार जिम्मेदार खाद्य उपभोग पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान या विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम शुरू करने का है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

### उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (घ): संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में घरेलू स्तर पर अनुमानित खाद्य अपशिष्ट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 55 किलोग्राम है, जबकि वैश्विक औसत 79 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है।

सरकार ने समय-समय पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को खाद्य अपशिष्ट के प्रति जागरूक करने के लिए प्रचार अभियान चलाए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूली पाठ्यक्रम में खाद्य अपशिष्ट की रोकथाम पर एक अध्याय शामिल करने की सलाह दी है ताकि युवा छात्रों में जागरूकता उत्पन्न की जा सके और उन्हें इस विषय पर संवेदनशील बनाया जा सके।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएआई) ने विभिन्न खाद्य वितरण एजेंसियों और अन्य हितधारकों को एकीकृत करके अधिशेष भोजन के दान को बढ़ावा देने और खाद्य अपशिष्ट को कम करने में मदद करने के लिए "सेव फूड शेयर फूड" के रूप में एक सामाजिक पहल शुरू की है। एफएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष खाद्य पुनःप्राप्ति और वितरण) विनियम, 2019 को भी अधिसूचित किया है जो खाद्य दाताओं और अधिशेष खाद्य वितरण संगठनों की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं ताकि दान किया गया भोजन मानव उपभोग के लिए सुरक्षित रहे। इस पहल की जानकारी के भंडार के रूप में एक वेबसाइट ([www.sharefood.fssai.gov.in](http://www.sharefood.fssai.gov.in)) विकसित की गई थी। यह वेबसाइट खाद्य अपशिष्ट की रोकथाम आदि पर नेटवर्क से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। एफएसएआई सुरक्षित भोजन के दान और साझा करने के बारे में नागरिकों और खाद्य व्यवसायों सहित कैटरर्स को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों पर इस पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।

\*\*\*\*\*